



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक- 01.05.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 126/2025 धारा 70(2)/351(3) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध की कार्यवाही ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 126/2025 धारा 70(2)/351(3) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित एक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है । एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-म0का0 862 पंकी सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 01.05.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा



.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 160/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे एवं लाईसेंसी हथियारों का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

चिराग पुत्र बाबूराम उर्फ पोपल निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 546 बिपिन सिरौही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



BAGHPAT POLICE

साइबर क्राइम पुलिस थाना, जनपद बागपत

अप्रैल-2025

साइबर क्राइम पुलिस थाना, जनपद बागपत द्वारा माह अप्रैल 2025 में 09 व्यक्तियों से हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखाधड़ी में कुल ₹ 2,17,677 वापस कराये गये-

साइबर क्राइम पुलिस थाना, जनपद बागपत द्वारा निम्न शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीड़ितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया । रुपये वापस मिलने पर पीड़ितों द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र०सं०	थाना	प्रा० पत्र सं० / मु०अ०सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना साइबर क्राइम	AP – 940/24	31,000
2	थाना साइबर क्राइम	FIR – 13/25	27,798
3	थाना साइबर क्राइम	AP – 815/24	30,000
4	थाना साइबर क्राइम	AP – 532/24	20,000
5	थाना साइबर क्राइम	AP – 607/24	31,000
6	थाना साइबर क्राइम	AP – 607/24	50,000
7	थाना साइबर क्राइम	23112240151810	16,000
8	थाना बडौत	23104250056079	10,000
9	थाना रमाला	23104250049970	1,879
		कुल योग	₹ 2,17,677